कार्यालय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण, आत्मा, समस्तीपुर ।

आदेश

बिहार सरकार, कृषि विभाग, पटना का पत्रांक 617, दिनांक 30.09.2014, पत्रांक 807, दिनांक 30.09. 2014 एवं पत्रांक 918, दिनांक 10.11.2014 के आलोक में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नॉलोजी के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के अन्तर्गत संविदा आधारित पदों पर नियोजन हेतु Draft Merit List of Shortlisted candidates के आयोजित काउंसेलिंग एवं प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन के फलस्वरूप प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर श्री ....पिता...पता...

....

को नियत मानदेय ₹25000.00 (पच्चीस हजार) रू0 प्रतिमाह में निम्न शर्तो के अनुसार नियोजित किया जाता है–

1. संविदा के आधार पर चयन एक (01) वर्ष के लिए होगा । कार्य संतोषजनक होने पर पुनः एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा । कार्य संतोषजनक नहीं होने पर मूल्यांकन के आधार पर, सेवामुक्त किया जा सकेगा ।

2. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

3. प्रखंड कृषि पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर संविदा पर नियोजित कर्मियों को हटाने का अधिकार परियोजना निदेशक, आत्मा, समस्तीपुर को होगा । इस संबंध में किसी प्रकार की अपील जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्माशाषी परिषद, समस्तीपुर के स्तर पर की जायेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा ।

4. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे औन न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे । इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा ।

5. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्माशाषी परिषद, समस्तीपुर का होगा ।

6. संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्गदर्शन के आलोक में राज्य सरकार एवं अंतर्विभागीय कार्य समूह (IDWG) द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नियोजित कर्मियों को करना होगा । संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व क्षेत्र में आत्मा योजना का सफल एवं पारदर्शी कार्यान्वयन होगा ।

7. चूँकि उक्त योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है अतएव संविदा के आधार पर यह नियोजन तभी तक मान्य होगा जबतक योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से आवश्यक निधि (Fund) प्राप्त होती रहेगी ।

8. प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद पर नियोजित व्यक्तियों को उनके डिग्री एवं अनुभव प्रमाण–पत्र के वैधता की जांच अवधि (60 दिन) के दौरान मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

9. प्रखंड तकनीकी प्रबधंक पद के लिए चयनित व्यक्ति के डिग्री एवं अनुभव प्रमाण–पत्र के वैधता की जांच के लिए अधिकतम 60 दिनों का समय दिया जायेगा ।

10. 60 दिन के अंदर संबंधित संस्थान/प्राधिकार से संबंधित व्यक्ति के डिग्री एवं अनुभव प्रमाण–पत्र के वैधता की रिर्पोट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में समुचित अवसर देकर उस व्यक्ति का नियोजन समाप्त किया जा सकेगा ।

11. योगदान के साथ अपनी योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वच्छ छाया प्रति (दो सेट) में समर्पित करना होगा ।

12. असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से स्वास्थ्य संबंधी मूल प्रमाण–पत्र समर्पित करना हागा ।

13. चयनित व्यक्ति अपने प्रमाण–पत्रों की वैधता संबंधी शपथ–पत्र के साथ योगदान करेंगे ।

14. चयनित व्यक्ति प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर आत्मा कार्यालय, बाजार समिति प्रांगण, समस्तीपुर में कार्यालय अवधि में दिनांक 12.02.2015 तक योगदान सुनिश्चित करेंगे ।

15. दिनांक 14.02.2015 तक क्र0सं0 1 से 10 तक उल्लेखित शर्तो का एक एकरारनामा 100 रू0 के नन–जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर कार्यालय को समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

अनुलग्नक–एकरारनामा का प्रारूप संलग्न है ।

परियोजना निदेशक,
आत्मा, समस्तीपुर ।

ज्ञापांक....................../आत्मा, समस्तीपुर, दिनांक..........................

प्रतिलिपि–..को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

परियोजना निदेशक,
आत्मा, समस्तीपुर ।

एकरारनामा का प्रारूप

1. संविदा के आधार पर चयन एक (01) वर्ष के लिए होगा । कार्य संतोषजनक होने पर पुनः एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा । कार्य संतोषजनक नहीं होने पर मूल्यांकन के आधार पर, सेवामुक्त किया जा सकेगा ।

2. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

3. प्रखंड कृषि पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर संविदा पर नियोजित कर्मियों को हटाने का अधिकार परियोजना निदेशक, आत्मा, समस्तीपुर को होगा । इस संबंध में किसी प्रकार की अपील जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्माशाषी परिषद, समस्तीपुर के स्तर पर की जायेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा ।

4. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे औन न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे । इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा ।

5. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्माशाषी परिषद, समस्तीपुर का होगा ।

6. संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्गदर्शन के आलोक में राज्य सरकार एवं अंतर्विभागीय कार्य समूह (IDWG) द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नियोजित कर्मियों को करना होगा । संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व क्षेत्र में आत्मा योजना का सफल एवं पारदर्शी कार्यान्वयन होगा ।

7. चूँकि उक्त योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है अतएव संविदा के आधार पर यह नियोजन तभी तक मान्य होगा जबतक योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से आवश्यक निधि (Fund) प्राप्त होती रहेगी ।

8. प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद पर नियोजित व्यक्तियों को उनके डिग्री एवं अनुभव प्रमाण–पत्र के वैधता की जांच अवधि (60 दिन) के दौरान मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

9. प्रखंड तकनीकी प्रबधंक पद के लिए चयनित व्यक्ति के डिग्री एवं अनुभव प्रमाण–पत्र के वैधता की जांच के लिए अधिकतम 60 दिनों का समय दिया जायेगा ।

10. 60 दिन के अंदर संबंधित संस्थान/प्राधिकार से संबंधित व्यक्ति के डिग्री एवं अनुभव प्रमाण–पत्र के वैधता की रिर्पोट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में समुचित अवसर देकर उस व्यक्ति का नियोजन समाप्त किया जा सकेगा ।

चयनित अभ्यर्थी का नाम–	प्रखंड कृषि पदाधिकारी
पदनाम–	प्रखंड...............................
हस्ताक्षर–	
स्थान............................., दिनांक............................	